

19.6.25 पत्रावली पत्र हुई। वकील वादी व वादी को कार-
 कार आवाज लगावई गई। परन्तु वकील वादी व
 वादी आपापसे के उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी
 का अर्थ न पत्र अदम हाजरी, अदम पेशी के-
 कारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार
 हुकर नम्बर से कम हो। अतः वकील पत्रावली
 दफ्तर दायिल हो



सहायक कलेक्टर
 सु० सवाई माधोपुर

